293/NIC
24/1/18

(दुमका समाहरणालय)

जिला स्थापना शाखा

आदेश संख्या– 16 /2018

सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची के संकल्प संख्या–2981/वित्त, रांची, दिनांक–01.9.2009 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं सप्तम वेतन के संकल्प संख्या–217/वि0 दिनांक–18.01.17 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक–14.12.17 को आयोजित स्क्रीनिंग कमिटि–सह–जिला स्थापना समिति, दुमका की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्गीय संवर्ग के कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि तथा 10/20/30 वर्षो की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के कारण संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना(12 वर्ष) लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लिपिक संवर्ग का सेवा सम्पुष्टि

क्र0	नाम एवं पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में योगदान की तिथि	विभागीय परीक्षा उतीर्णता की तिथि					सेवा सम्पुष्टि की तिथि
				हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा	प्रथम पत्र लेखा परीक्षा		द्वितीय पत्र लेखा परीक्षा		
					प्रारंभिक स्तर	अंतिम स्तर	प्रारंभिक स्तर	अंतिम स्तर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री दुर्योधन मांझी, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, मसलिया। बी0 एस0 ई0 बी0,पटना।	09.08.1960	11.06.2004	15.05.2005	–	26.07.14	–	26.07.14	27.07.2014
2	श्रीमती कात्याणी देवी, लिपिक, जिला विकास शाखा, दुमका। बी0एस0ई0बी0, पटना।	03.02.1963	01.06.2004	15.05.2005	आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका के आदेशानुसार ज्ञापांक–50/स्था0 दिनांक–09.02.17 लेखा परीक्षा से विमुक्त।		आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका के आदेशानुसार ज्ञापांक–50/स्था0 दिनांक–09.02.17 लेखा परीक्षा से विमुक्त।		10.02.2017
3	स्व0 गोविन्द हाँसदा, लिपिक, अंचल कार्यालय, काठीकुण्ड। बी0एस0ई0बी0, पटना। मृत्यु दिनांक–22.06.2006	12.11.1962	18.02.1991	17.01.1993		05.09.1998		05.09.1998	06.09.1998

4	श्रीमती मिरू मरांडी, लिपिक, अंचल कार्यालय, दुमका। हिन्दी विद्यापीठ, देवघर।	30.08.1975	10.07.1998 08.02.2008 (लिपिक)	23.11.2008		24.08.2011		27.02.2012	28.02.2012

(क) चतुर्थ वर्गीय कर्मी का सेवा सम्पुष्टि

क्र0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	श्री महेश प्रसाद साह, माली, अंचल कार्यालय, काठीकुण्ड।	08.02.1969	30.11.2013	30.11.2016
2	श्री अशोक कुमार, माली, अंचल कार्यालय, काठीकुण्ड।	02.01.1964	03.12.2013	03.12.2016
3	शांति लता हांसदा , अनुसेवक , अनुमंडल कार्यालाय दुमका	23.04.1990	02.12.2013	02.12.2016
4	श्री सनत सोरेन , अनुसेवक , अनुमंडल कार्यालाय दुमका	01.11.1970	23.08.2014	23.08.2017
5	श्री बाल कृष्ण मरांडी , अनुसेवक , अनुमंडल कार्यालाय दुमका	02.01.1979	23.08.2014	23.08.2017
6	श्री पचांनन महतो, अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालाय दुमका	09.03.1972	30.11.2013	30.11.2016
7	श्री जगन्नाथ दत्त, माली, अनुमंडल कार्यालय, दुमका	07.01.1969	30.11.2013	30.11.2016
8	कविता कुमारी , अनुसेवक राजस्व शाखा दुमका	14.06.1990	27.09.2014	27.09.2017
9	बेबी कुमारी , अनुसेवक अंचल कार्यालय काठीकुड	02.02.1979	19.09.2014	19.09.2017

लिपिक/अनुसेवक संवर्ग का एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति

क्र0	कर्मचारी का नाम/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	10/20/30 वर्ष का एम0ए0सी0पी0 स्वीकृति प्रदान करने की तिथि।	स्वीकृत पे–बैण्ड/ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दुर्योधन मांझी, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, मसलिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।	09.08.1960	11.06.2004	27.07.14	27.07.14 (10 वर्ष)	27.07.14 (10 वर्ष) ग्रेड पे–2800

2	श्रीमती कात्याणी देवी, लिपिक, जिला विकास शाखा, दुमका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।	03.02.1963	01.06.2004	10.02.17	10.02.17 (10 वर्ष)	10.02.17 10 वर्ष सप्तम वेतन के प्रावधान के अनुसार अगले उच्चत्तर लेवल 5 में प्रस्तावित प्रोन्नति
3	स्व0 गोविन्द हाँसदा, लिपिक, अंचल कार्यालय, काठीकुण्ड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, मृत्यु दिनांक–22.06.2006।	12.11.1962	18.02.1991	06.09.98	18.02.03 (12 वर्ष)	18.02.03 को 12 वर्षीय एओसी0पी0 का लाभ प्रस्तावित 5000–8000
4	श्रीमती पूनम कुमारी साह, लिपिक, जिला स्थापना शाखा, दुमका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।	25.12.1968	13.11.1987	13.11.90	13.11.17 (30 वर्ष)	13.11.17 30 वर्ष सप्तम वेतन के प्रावधान के अनुसार अगले उच्चत्तर लेवल 8 में प्रस्तावित प्रोन्नति
5	श्री रविन्द्र नाथ मंडल, अनुसेवक नन मैट्रिक अंचल कार्यालय जरमुंडी।	08.01.73	13.08.1997	13.08.2000	13.08.17 (20 वर्ष)	प्रस्तावित लेबल–2

उपर्युक्त कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ निम्नांकित शर्तों के अनुसार देय होगाः–

1.कर्मियों की सेवा पुस्तिका में नियमित संवर्गीय सेवा की निर्धारित अवधि का आकलन के पश्चात् ही वेतन का निर्धारण होगा।

2. अनुशासनात्मक/दंडात्मक/फौजदारी मामला/विभागीय कार्यवाही/सरकारी कर्मियो के आचरण के विरूद्ध कार्रवाई संबंधी मामले में संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3. सभी कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित कर्मी संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रावधान के सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं तथा इस हेतु सर्वथा योग्य हैं। यदि इससे भिन्न कोई मामला प्रकाश में आता है तो वेतन निर्धारण के पूर्व वे पुनः जिला स्तर से निर्देश प्राप्त करेंगे। यह कार्यालय प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

4. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्राप्त करने बाद भी पदधारक मूल पद के कर्त्तव्यों का ही संपादन/निर्वाहन करेंगे तथा पदनाम भी संवर्गीय पद की रिक्ति एवं उनके विरूद्ध नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्ववत रहेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होंगे एवं उनका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। कनीय कर्मी को कोई संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतम वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।

6. संबंधित कर्मी का वेतन भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) एवं (ए)(I) के प्रावधान तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वेतन निर्धारित किया जायगा। संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रदत्त वित्तीय लाभ अंतिम होगा। अर्थात उच्चतर वर्ग के क्रियाशील पद के विरूद्ध पदस्थापन के समय पुनः कोई वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

7. वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची के पत्र संख्या–6/एस–06(प्रो0)–03/2009–1779/वि0, दिनांक–21.5.2014 के द्वारा राज्य कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सम्पुष्टि की प्रक्रिया समाप्त करने के विषय पर निर्गत संकल्प में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8. नियमित प्रोन्नति के समय देय वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जायगा। फलस्वरूप वित्तीय उन्नयन के समय पूर्व से प्राप्त वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन को जोड़ने के पश्चात्) का 3(तीन) प्रतिशत (दस के गुणांक में) वेतन निर्धारण का लाभ देय होगा। बाद में यदि उसी ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वैसी स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। वैसे मामले जहां संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रदत्त ग्रेड वेतन से अधिक के ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है वहां भी वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जायगा तथा नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन की अंतर की राशि मात्र देय होगी।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक 84 /स्था0 दुमका दिनांक 23-1-18

प्रतिलिपिः– आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड रांची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित कर्मी को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करा देंगे।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, दुमका/जिला लेखा पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि इस आदेश को दुमका जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय।

उपायुक्त,
दुमका।